कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान

क्रमांक एफ( ) विकास /प्रमुवस / 4077 दिनांक 12/12/2022

परिपत्र

राजस्थान वन विभाग, प्रतिवर्ष वृहद क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करता है और इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत कृषकों और आमजन को पौध वितरण भी करता है। वन विभाग का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता के पौधे तैयार कर,उन्हे रोपित एवं वितरित करना है। यह तभी संभव है जब उत्तम गुणवत्ता के बीजों का संग्रहण कर, उन्ही बीजों से पौधे तैयार करें।

बीजों की गुणवत्ता मुख्य रूप से वृक्षों के आनुवंशिक गुणों पर निर्भर होती है। इसलिये यह आवश्यक है कि बीज, उन्हीं वृक्षों से, एकत्र किये जायें जो आनुवांशिकीय रूप से श्रेष्ठ हों। अतः प्राकृतिक वनों में श्रेष्ठ, गुणाढ्य वृक्षों (प्लस ट्रीज़) की पहचान कर, उन्हीं वृक्षों से ही बीज संग्रहित कर, पौधे तैयार किए जाने आवश्यक हैं। श्रेष्ठ पौधे तैयार करने के लिए, बीज संग्रहण, एक प्रमुख तकनीकी कार्य है, जिसके लिए निम्न तकनीकी दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

(1) पौध तैयारी हेतु बीज अथवा कटिंग्स संग्रहण, समस्त ज्ञात स्त्रोत से ही प्राप्त की जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञात स्त्रोत के मातृ पौधों के फल, फूल और आकार सहित समस्त गुण परीक्षित होते हैं।

(2) बीज अथवा कटिंग्स संग्रहण, प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा कुशल वनर्मियों की देखरेख मे ही सम्पन्न कराया जाना चाहिए।

(3) बीज हमेशा स्थानीय क्षेत्र से ही संग्रहित कराया जाना चाहिए। यदि बीजों का क्रय बाजार से किया जाता है तो विश्वसनीय विक्रेता जिसके पास उनके स्त्रोत की जानकारी हो, उनसे ही क्रय किया जावे ।

(4) जिन बीजों की वृहद मात्रा मे आवश्यकता होती है यथा; कुमठा, बबूल, खेजड़ी, रौंज, खैर आदि, उन्हें बीज उत्पादन क्षेत्रों के, गुणाढ्य वृक्षों (प्लस ट्रीज़) से ही एकत्र किया जाना चाहिए। वन वर्धन प्रभाग द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों मे ऐसे बीज उत्पादन क्षेत्र घोषित किए हुये हैं जिसकी सूची विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध है।

(5) जिन बीजों की अपेक्षाकृत कम मात्रा मे आवश्यकता होती है उन्हें, समीप के क्षेत्र मे उपलब्ध और पूर्व चिन्हित गुणाढ्य वृक्षों से, एकत्र किया जाना चाहिए।

(6) फलदार पौधों के बीज, यदि वन क्षेत्र मे उपलब्ध नहीं हों तो, किसी ज्ञात और परीक्षित फलोद्यान से भी एकत्र किए जा सकते हैं ।

(7) संभागीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित विभागीय बीएसआर दरों पर ही बीज एकत्रण कराया जाना चाहिए।

(8) बीज एकत्रण के पश्चात इसका राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला मे आवश्यक रूप से परीक्षण करवाना चाहिए।

बीज संग्रहण हेतु विस्तृत तकनीकी मार्गदर्शिका तथा बीज संग्रहण कलेंडर संलग्न है।

(डा. दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख) राजस्थान
दिनांक 12/12/2022

क्रमांक एफ( ) विकास /प्रमुवस / 4078–4148

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारीगण

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख) राजस्थान

बीज संग्रहण हेतु विस्तृत तकनीकी मार्गदर्शिका

(1) बीज हमेशा एक गुणाढ्य वृक्ष से ही संग्रहित करने चाहिये । एक गुणाढ्य वृक्ष, माध्यम आयु का, तेजी से वृद्धि करने वाला, सीधे तने का, समान रूप से विकसित शाखाओं वाला और शिखर प्रभुत्व वृक्ष होता है। यह वृक्ष किसी भी रोग और कीट के संक्रमण से मुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बीज वृक्षों के लिए चयन मानदंड भिन्न –भिन्न होते हैं। यथा प्रकाष्ठ (टिम्बर) हेतु चयनित वृक्ष, सीधे तने वाला,लंबा,बिना शाखाओं का और संक्रमण से मुक्त होना चाहिए। चारे के लिए चयनित वृक्ष, तेजी से विकास करने वाला और उच्च पर्ण उत्पादन वाला होना चाहिए। फलों के लिए चयनित वृक्ष, प्रचुर मात्रा में मीठे और बड़े फल देने वाला होना चाहिए।

(2) बीज की एकत्रित की जाने वाली मात्रा की जानकारी होना आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक बीज एकत्र करने पर उसके खराब हो जाने और धीरे–धीरे उनकी अंकुरण क्षमता कम होने की प्रबल आशंका होती है।

(3) बीज एकत्रण की मात्रा, रोपण लक्ष्य, प्रजाति, प्रति किलों बीजों की संख्या और अंकुरण प्रतिशतता पर निर्भर होती है। इन्हीं के आधार पर बीजों की मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

(4) विभिन्न प्रजातियों के बीज पकने के सही समय का ज्ञान होना भी अत्यावश्यक है ,ताकि उत्तम बीज एकत्र किए जा सकें । क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बीजों के एकत्र करने के समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है।

(5) अनेक वृक्ष प्रजातियों में प्रतिवर्ष अच्छी मात्रा में बीजन नहीं होता है। जिस वर्ष अच्छी मात्रा में बीजन हो, उस वर्ष, बीज एकत्र करना अधिक अच्छा रहता है क्योंकि, अच्छे बीज वर्ष में एकत्र किये गये बीजों में अंकुरण क्षमता अच्छी होती है ।

(6) बीज एकत्रण हमेशा परिपक्व बीज का ही किया जाना चाहिये। अपरिपक्व बीज में अंकुरण क्षमता नहीं होती है और बीज एकत्रण का व्यय, व्यर्थ हो जाने की आशंका रहती है।

(7) वृक्ष में जो फल या बीज पककर पहले गिरते हैं वे अधिकांशतः अधम श्रेणी के होते हैं। अतः इन फलों/बीजों को एकत्र नहीं करना चाहिये। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के पश्चात जब अधिकांश फल/बीज पक जायें, तब ही बीज एकत्र करना चाहिए ।

(8) पेड़ों से सीधे एकत्र किया गया बीज, उच्च गुणवत्ता का होता है क्योंकि वह बीज, मिट्टी की नमी व सूक्ष्मजीवों के संपर्क में नहीं आता है।

(9) ऋतुकाल के प्रारम्भ या अंत में आये बीजों के स्थान पर मध्यकाल में बीज एकत्रण कार्य करना चाहिए।

(10) बीज एकत्रण के बाद, उसके उचित भंडारण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अगर बीजों को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखना हो तो उसे भली –भांति सुखाकर,कीटनाशी और कवकनाशी से उपचरित कर भंडारित करें।

(11) बीजों की बुवाई से पहले बीज का, प्रयोगशाला मे परीक्षण करवा लेना चाहिए ताकि बुवाई करने पर वास्तविक तैयार होने वाले पौधों का सही सही आंकलन किया जा सके।

(12) वनों से बीज एकत्रीकरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि बड़े बीजों वाली पादप अनुक्रमण मे देरी से आने वाली प्रजातियों के बीज भी अवश्य एकत्र किए जाएँ तथा यथासमय इनका उपयोग सीधी बुवाई व पौधशालाओं मे पौधे उगाने हेतु किया जाये।

(13) **बीज संग्रहण मे अधिक तकनीकी मार्गदर्शन की यदि आवश्यकता हो तो वन वर्धन प्रभाग से संपर्क किया जा सकता है।**

वार्षिक बीज संग्रहण कलेण्डर

अप्रेल- मई-जून

S.N	Botanical Name	Local Name
1.	Acacia nilotica	देशी बबूल
2.	Acacia leucophloea	रौंज
3.	Aegle marmelos	बेलपत्र
4.	Albezia procera	सफेद सिरिस
5.	Allanthus excelsa	अरडू
6.	Alstonia scholaris	सप्तपर्णी
7.	Asparagus racemosa	शतावरी
8.	Bauhinia purpurea	बैंगनी कचनार
9.	Bamboo	बांस
10.	Boswellia serrata	सालर
11.	Bauhinia variegata	कचनार
12.	Bombax ceiba	सेमल
13.	Butea monosperma	पलास
13.	Cassia fistula	अमलतास
14.	Cassia siamea	कसोद
15.	Cassia javanica	केशिया जवेनिका
16.	Cordia gharaf	गूंदी
17.	Cordia dichotoma	लसोड़ा
18.	Casearia elliptica	मोजाल
19.	Delonix regia	गुलमोहर
20.	Diospyros melanoxylon	तेन्दू
21.	Diospyros montana	बिसतेंदु
22.	Erthrina indica	गदा पलास
23.	Ficus bengalensis	बड़
24.	Grevillea robusta	सिल्वर ओक
25.	Gmelina arborea	हवन
26.	Hardwickia binata	अंजन
27.	Holoptelia intergrifolia	चुरैल
28.	Lannea coromandelica	गोवल
29.	Millusa tomentosa	ऊंबिया
30.	Manilkara hexandra	रायन
31.	Manglfera indica	आम
32.	Moringa oleiofera	सैंजना
33.	Morus alba	शहतूत
34.	Oojeinensis oojeinsis	तनस
35.	Prosopis cinerarla	खेजड़ी
36.	Pongamia pinnata	करंज
37.	Pithecellobium dulce	जंगल जलेबी
38.	Salvadora oleoides	मीठा जाल
39.	Salvadora persica	खारा जाल
40.	Sterculia urens	कड़ाया
41.	Terminalia arjuna	अर्जुन
42.	Tamarindus indica	इमली
43.	Tecomella undulata	रोहिड़ा
44.	Termenalia tomentosa	सादड़
45.	Toona ciliata	टून

नोट :- बीज संग्रहण कलेण्डर बनाने में पूर्णतया सावधानी रखी गई है परन्तु स्थानीय जलवायु/ परिस्थितियों से उक्त संग्रहण काल में आंशिक बदलाव हो सकता है। अतः इसका ध्यान रखा जावे।

जुलाई-अगस्त-सितम्बर

S.N	Botanical Name	Local Name
1.	Azadirachta indica	नीम
2.	Madhuca indica	महुआ
3.	Mimusops elengi	मोलश्री
4.	Syzygium cumini	जामुन
5.	Carissa carandas	करोंदा
6.	Citrus limon	नीबू
7.	Polyalthia longifolia	अशोक
8.	Michelia champaca	चम्पा
9.	Artocarpus hetrophyllus	कटहल
10.	Buchanania lanzen	चिरोंजी

अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर

S.N	Botanical Name	Local Name
1.	Dalbergia sissoo	शीशम
2.	Annona squamosa	सीताफल
3.	Grewia tiliifolia	धामन
4.	Celastrus peniculata	मालकांगणी
5.	Morinda tomentosa	आल
6.	Feronia limonia	कैथ
9.	Anogeissus acuminata	कांटा धौंक
10.	Anogeissus sericea	इन्द्रोक
11.	Curcuma pseudomontana	जगंली हल्दी
12.	Anthocephalus cadamba	कदम्ब

जनवरी-फरवरी-मार्च

S.N	Botanical Name	Local Name
1.	Acacia senegal	कुमठा
2.	Anogeissus latifolia	सफेद धौंक
3.	Anogeissus pendula	काला धौंक
4.	Acacia tortilis	इजरायली बबूल
5.	Acacia catechu	खैर
6.	Albizia lebbeck	काला सिरिस
7.	Adina cordifolia	हल्दू
8.	Anthocephalus cadamba	कदम्ब
9.	Bauhinia recemosa	झींझा
10.	Cassia angustifolia	सनाय
11.	Dalbergia latifolia	काला शीशम
12.	Emblica officinalis	आंवला
13.	Sapindus emarginatus	अरीठा
14.	Sterospermum suaveolens	पाडल
15.	Santalum album	चंदन
16.	Tectona grandis	सागवान
17.	Terminalia bellerica	बहेड़ा
18.	Pterocarpus marsupium	बिजासाल
19.	Zizyphus mauritiana	बैर
20.	Wrightia tinctoria	खिरणी

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वर्धन), जयपुर